आदेश	कार्यवाही विवरण
	13.10.22 को अग्रसारित होने पर
14/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री अभार्थी नं. 1 बाबूलाल तथा शाखीर नहीं आ रहे। विपक्ष एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद प्रार्थना पत्र O9Rule 8 CPC पर श्रवण की गयी। वाद के प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उनकी पावलाक बनाम तहसीलदार मु.नं. 43/2022 में दि. तारीख 7.7.2022 वाले नकल व तहसीलदार रिपोर्ट है निर्णय भी परन्तु निर्णय तारीख पश्चात दिन प्रार्थी श्री नविन्द्र पराद भी तथा प्रार्थी अधिवक्ता भी रिश्तेदारी के कारण होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका है। अब माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण को अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया था। उक्त प्रकरण को अदम पैरवी अदम पैरवी के खारिज होने की जानकारी मिलने ही अधिवक्ता प्रार्थी पत्र O9Rule 13 पेश किया। अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण संख्या 43/2022 के मु.नं. नम्बर पर नये से अंकित कराया जाना प्रार्थनीय है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर श्रवण किया गया। उक्त विवेचना से व न्यायहित को देखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र O9Rule 13 CPC स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण मुकदमा नं. 43/2022 को मु.नं. नम्बर पर लिया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र ता. धारा अंकित [illegible] जाता है तथा मुकदमा नं. [illegible] मु.नं. 43/2022 के साथ सलग्न है। तथा इस पत्रावली दिनांक 20/10/2022 को पेश हो।
	14/10/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested